

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर, कैम्प रीवा, म०प्र०



R5405II/16

RS-301-

- 1- अमरजीत तनय रामा वैश्य
- 2- शारदा प्रसाद तनय लक्ष्मिन वैश्य
- 3- सर्वजीत तनय रामा वैश्य
- 4- धर्मजीत तनय लक्ष्मिन वैश्य
- 5- छोटेलाल तनय कन्हैयालाल वैश्य
- 6- बंका सिंह तनय रामा वैश्य

सभी निवासी ग्राम मलंगो, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली म०प्र०,

आवेदकगण

बनाम

कलर्क ऑफ कोर्ट - जगधारी प्रसाद तनय राम मंदन वैश्य निवासी ग्राम मलंगो, तहसील माड़ा

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा जिला सिंगरौली म०प्र० -

अनावेदक

2- म०प्र० शासन -

निगरानी विरुद्ध आवेश न्यायालय कलेक्टर जिला
सिंगरौली के. क्र. 46/अ-74/14-15, पारित आवेश
दिनांक 4.7.2016, अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू
राजस्व संहिता 195१ई.।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

ml



[Signature]
Aay

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5405-II/16

जिला सिंगरौली

अमरजीत वैश्य वगैरः / जगधारी प्रसाद वैश्य

(1)	(2)
19.12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अनूपदेव पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 46/अ-74/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 04.07.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  </p>